न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई./
तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–896/2026
रविकान्त किरयाना बनाम सी0बी0आई0

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0– RC0072023S0006
अंतर्गत धारा– 120बी r/w 420,471,474 भा0दं0सं0
CBI, ACB, Dehradun

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री युद्धवीर हाण्डा।
सी0बी0आई0 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक – श्री राम कुमार।

दिनांक 02.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रविकान्त किरयाना पुत्र श्री श्यामल सिंह, निवासी–म0सं0 2, रायल स्टेट, बिजली बम्बा, बाईपास मेरठ, उत्तर प्रदेश की ओर से सी0बी0आई0 वाद सं0–01/2025 में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437(6) द0प्र0सं0 दिनांक 12.03.2026 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री युद्धवीर हाण्डा तथा सी0बी0आई0 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री राम कुमार (द्वारा वी0सी0) को पुनः सुना गया।

02. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पूर्व में धारा 437(6) द0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2026 के आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437(6) द0प्र0सं0 खारिज किया गया था जिसके विरूद्ध अभियुक्त द्वारा एक फौजदारी निगरानी माननीय सत्र न्यायालय में निगरानी स0–68/2026 योजित की गई जिसमें माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2026 के आदेशानुसार द्वारा इस न्यायालय के आदेश को अपास्त कर फौजदारी निगरानी सं0–68/2026 को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय को पुनः सुनवाई करने के निर्देश दिये गये।

03. न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष को पुनः सुना गया तथा निगरानी न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। उक्त आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय निगरानी न्यायालय के द्वारा पैरा–16 में निम्न धारित किया गया है–

> ''16. प्रस्तुत निगरानी उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित आदेश अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता के जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437(6) द0प्र0सं0 पर पक्षकारों को पुनः सुनकर माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित विधि सिद्धान्त *शुभेलाल उर्फ सुशील साहू* के आलोक में विधिनुसार आदेश पारित करें।''

04. प्रार्थी/अभियुक्त रविकान्त किरयाना पर यह अभियोग लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक पड्यंत्र के तहत माननीय

उच्च न्यायालय, नैनीताल के तीन आदेश/निर्णय कूटरचित किए गए, जिन्हे माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित करना दर्शाया गया तथा उन्हें कंपनी लॉ बोर्ड, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी याचिका सं0– 70/2003 के माध्यम से कपंनी लॉ बोर्ड से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पर यह अभियोग भी लगाया गया है कि उसके द्वारा अपनी पत्नी तथा घरेलू सेवक को अंगेलिया हॉउसिंग प्रा0लि0 का डायरेक्टर स्वयं दर्शाकर उक्त कंपनी की संपत्ति को मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिग के माध्यम से विक्रय करने हेतु विभिन्न समय पर कलीराम यादव से एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई।

05. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 09.10.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 02.08.2025 को आरोप विरचित किए गए थे। उक्त तिथि से अब तक सी0बी0आई0 के द्वारा सिर्फ पांच गवाहों को परीक्षित करवाया गया है जबकि मामले में 44 गवाह वर्णित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में निकट भविष्य में गवाहों को परीक्षित करवाया जाना संभव नहीं है। धारा 437(6) द0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का 60 दिन के भीतर विचारण पूर्ण न होने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाना आज्ञापक है। प्रस्तुत मामले में आरोप विरचन के पश्चात लगभग 11 माह हो चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा Subhelal @ Sushil Sahu Vs. State of Chhattisgarh के मामले में धारा 437(6) द0प्र0सं0 के प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु चार कारकों को देखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में उक्त चारों कारक प्रार्थी/अभियुक्त के पक्ष में हैं। अतः अभियुक्त को उक्त प्रावधान का लाभ दिया जाना आवश्यक है।

06. सी0बी0आई0 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर गंभीर अभियोग लगाए गए हैं। अभियुक्त के द्वारा ही गवाहों से समय पर जिरह नहीं की गई है। अभियुक्त के द्वारा अभियोजन साक्षी सं0–2 से कई बार जिरह स्थगित की गई है तथा अंत में न्यायालय के द्वारा बचाव पक्ष का उक्त से जिरह का अवसर भी समाप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में गवाही में देरी करने में स्वयं अभियुक्त की सहभागिता है।

07. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है कि मामले में अभियुक्त विरूद्ध दिनांक 24.12.2024 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इससे पूर्व अभियुक्त को दौराने अन्वेषण पुलिस के द्वारा दिनांक 09.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 02.08.2025 को आरोप विरचित किए गए थे। न्यायालय के द्वारा पूर्व में अभियुक्त का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437(6) द0प्र0सं0 दिनांक 12.03.2026 को खारिज किया गया था जिसमें यह अवधारित किया गया था कि अभियुक्त के द्वारा अभियोजन साक्षियों से जिरह करने में स्वयं देरी की गई है। माननीय निगरानी न्यायालय के द्वारा इस न्यायालय को Subhelal

@ Sushil Sahu Vs. State of Chhattisgarh के न्याय निर्णयन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित कारकों पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रथम कारक के संबंध में यह विचार किया जाना है कि क्या 60 दिन के भीतर गवाही पूर्ण न होने का कारण अभियुक्त है। प्रस्तुत मामले में यद्यपि पूर्व में अभियुक्त के द्वारा अभियोजन साक्षी सं0–2 से जिरह करने में कई बार समय लिया गया था किन्तु उसके पश्चात भी आरोप विरचन के पश्चात लगभग 11 माह व्यतीत हो चुके हैं तथा मामले में सिर्फ 05 गवाह ही परीक्षित हुए है। अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन की गवाही करवाने में अभियुक्त के द्वारा देरी करवायी गई हो। अन्य कारकों में से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती हो या अभियुक्त का जमानत पर रिहा किए जाने पर उसके फरार होने की संभावना हो। अभियुक्त गिरफ्तार होने के पश्चात पूर्ण अवधि में इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः न्यायालय के मत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शुभेलाल के न्याय निर्णयन में बताये गए कारक अभियुक्त के पक्ष में हैं। इसके अतिरिक्त मामले में सी0बी0आई0 के द्वारा 44 गवाह वर्णित किए गए हैं। अतः उक्त सभी गवाहों का निकट भविष्य में परीक्षित होना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त माननीय निगरानी न्यायालय के न्याय निर्णयन के आलोक में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयन शुभेलाल में दिए गए निर्देशों के क्रम में जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437(6) द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रविकान्त किरयाना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना अंतर्गत धारा 437(6) द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा रु0 50,000/– (पचास हजार रूपये) का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो सक्षम जमानती प्रस्तुत करने पर, दौराने वाद, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(संदीप सिंह भण्डारी)
तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी0बी0आई,
देहरादून।